Ministry as to whether the misappropriation was committed or not. It started from 2008, and in 2013, the hon. Minister has directed the RBI and other agencies to look into the matter. What was going on during the intervening period? Did the Government have any report about the misappropriation or irregularity which has not been replied? Specific question should be replied. The answer should be specific one.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, as I said, although the question uses the word 'misappropriation', it's premature to come to the conclusion that anyone misappropriated the money. What has happened is that in some cases, ineligible farmers, in the sample, have been found to have received the loan waiver. In some cases, eligible farmers have not received the loan waiver. In the latter case, there is no misappropriation. It is unfortunate that a deserving farmer did not get the loan waiver. There is no misappropriation there. In the first case, if an ineligible farmer got a loan waiver, certainly, that was incorrect. That loan should not have been waived. The loan money should have been collected from the farmer. But, under the Scheme, no money was actually paid to any farmer. The loan was waived and the Government gave the money to the bank. Therefore, 'misappropriation' may not be the appropriate word; the appropriate word, in the respectful submission, is 'ineligible farmers got the benefit of the loan waiver'. That money has to be recovered. It is possible that the concurrent audit and the internal audit have already discovered that case in a particular branch. It is only when we now do branch-wise verification that we will know as to how many cases have already been detected. Now that the C and AG has pointed out a certain number of cases in the sample, we have to see as to how many cases remain to be detected. Once we detect those cases, we will get an idea of the amount of money that has been incorrectly waived under the Scheme. Once that amount is estimated, we will take the corrective action.

Malpractices by DISCOMS

*24. DR. PRADEEP KUMAR BALMUCHU: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government is aware that DISCOMS are abnormally increasing the prices of power which is causing the common man to pay inordinately exorbitant power bills;

---

*24. The questioner (DR. PRADEEP KUMAR BALMUCHU) was absent.

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that DISCOMS are resorting to inflating their expenses artificially to recover losses, thereby gaining a lot by escaping the payments to Government;

(d) whether Government has identified the DISCOMS which are indulging in these kinds of malpractices; and

(e) the measures being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI JYOTIRADITYA MADHARAO SCINDIA): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (e) The tariff for retail sale of electricity by distribution companies (DISCOMS) is determined by the State Electricity Regulatory Commission (SERCs) as per the provisions of the Electricity Act, 2003. While determining the tariff, the Regulatory Commission examines the expenditure of DISCOMSs before finalizing Annual Revenue Requirement (ARR) for the DISCOM. Any person aggrieved by an order made by the Appropriate Commission under this Act may prefer an appeal to the Appellate Tribunal for Electricity.

MR. CHAIRMAN: Any supplementaries?

श्री रवि शंकर प्रसाद: सभापति जी, मैं कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे बालने का मौका दिया है। माननीय मंत्री जी, आपके प्रश्न का उत्तर देखकर मुझे थोड़ी हैरत हुई है। आपने इसमें सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का जिक्र किया है कि रेग्युलेट्री कमीशन व्यवस्था करता है कि जिसको शिकायत है, वह अपील में चला जाए। दिल्ली में बिजली के बिल को लेकर क्या हो रहा है, संसद को उस सच्चाई से अंधेरे में रखने की कोशिश की गई है। साधारण परिवार के लोगों को भी लाखों रूपये के बिजली के बिल आ रहे हैं। जनता परेशान है, जनता सड़कों पर है। एक पदाधिकारी, जिसने डिस्कॉम कम्पनी के एकाउंट के बारे में सख्ती करने की कोशिश की, उसको मुख्यमंत्री के आदेश से बदल दिया गया। मेरा सवाल यह है कि यह डिस्कॉम कम्पनी, जो अपने इन्फ्लेटेड एकाउंट्स को लेकर रेगुलेटरी कमीशन के सामने जाती है, क्या कभी उसकी जांच-पड़ताल की गई है? सरकार की अपनी एक भूमिका है, मैं समझता हूं। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 में कहा गया कि कमीशन अपनी बात करेगा, लेकिन आज दिल्ली की जनता इस बढ़े हुए बिजली के बिल से इतनी परेशान है कि क्या छोटा व्यक्ति, क्या मध्यम वर्ग, क्या उच्च

वर्ग, सभी परेशान हैं और डिस्कॉम कम्पनी के बारे में सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि बिजली कम खपत करें। लोगों को तीन-तीन बल्ब्स पर भी बड़े-बड़े बिल्स आ रहे हैं। मेरा आपसे यह सवाल है कि इस पीड़ा के आलोक में आपने जो गम्भीर, तकनीकी उत्तर दिया है, क्या आप इस पर कोई सार्थक कार्रवाई करने का आश्वासन देंगे?

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: सभापति महोदय, माननीय सांसद महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं कि वर्तमान में अगर हम ऊर्जा के क्षेत्र के वैल्यू चेन को देखें, तो उस वैल्यू चेन का जो सबसे प्राथमिक और महत्वपूर्ण भाग है, वह डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर है। वर्तमान में अगर हम राष्ट्र भर के डिस्कॉम्स को देखें, तो पिछले वित्तीय वर्ष में उनके annual losses करीब-करीब 38 हजार करोड़ रूपए थे। अगर हम आज तक उनके पूरे cumulative losses देखें, तो ये करीब-करीब 92 हजार करोड़ रूपए हैं। Short-term liabilities in DISCOM, करीब-करीब एक लाख 90 हजार करोड़ रूपए हैं। संविधान के आधार पर एक प्रक्रिया बनाई गई है। उस प्रक्रिया के आधार पर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है और उसके अन्तर्गत हर राज्य का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है। उसी के जरिए टैरिफ फिक्सेशन होता है। अब मुद्दा यह है कि टैरिफ फिक्सेशन कैसे हो और उसकी जवाबदेही और पारदर्शिता होनी चाहिए। मैं आपके साथ पूरी तरह से सहमत हूं। सभापति महोदय, average cost of supply और average revenue requirement के बीच में gap होता है। संविधान के आधार पर यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि हरेक डिस्कॉम को SERC को अपना average revenue requirement देना होगा। मैं आपके द्वारा हाउस को यह भी सूचना देना चाहता हूं कि उस ARR के फार्मूला में क्या होता है। उसमें power purchase cost, return on equity, interest in finance charges, depreciation, operation and maintenance expenses आदि हैं। SERC के प्रावधान के आधार पर उनको हर सम्भव हक है कि वे उस ARR के estimate को पूरी तरह से audit करें। हरेक SERC audit करता है।

माननीय सांसद महोदय ने विशेष कर दिल्ली का मुद्दा उठाया है। आपको मालूम है कि दिल्ली के मुद्दे पर एक PIL भी lodge हुआ है। इस पर कई प्रश्न चिन्ह उठे हैं। जहां तक दिल्ली का मुद्दा है, SERC ने स्वयं energy audit किया है, लेकिन इसके अतिरिक्त DERC को यह direction भी दिया गया है कि वे एक third party energy audit भी करें। उस third party energy audit के आधार पर वर्तमान में NDPL ने DTU के द्वारा third party energy audit करवाया है। दिल्ली सरकार ने BYPL और BRPL को भी कह दिया है कि जल्द-से-जल्द third party energy audit किया जाना चाहिए। मैं आपके द्वारा हाउस को भी यह समझाना चाहता हूं कि अगर हम ऊर्जा के क्षेत्र को एक feasible और viable sector बनाना चाहते हैं, तो सेक्शन 121 ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: प्लीज़ सुन लीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री ज्योतिरादित्य माधवराज सिंधिया: सेक्शन 121 ...**(व्यवधान)**... अगर मुझे मौका दिया जाए ...**(व्यवधान)**... सेक्शन 121 के बारे में ...**(व्यवधान)**... जो ऑर्डर था, इसके आधार पर पहली बार इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बढ़ाए गए।

श्री सभापति: श्री मोती लाल वोरा। ...**(व्यवधान)**...

श्री एम. वेंकैया नायडु: यह बहुत गम्भीर मामला है। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, लोग मर रहे हैं, लोग सड़कों पर आए। दिल्ली देश की राजधानी है। लोग इतने परेशान हैं कि क्या छोटे, क्या मँझोले, क्या बड़े, सब लोग परेशान हैं, तो क्या आप केवल ऑडिट के आधार पर ही इस पर कार्रवाई करेंगे? सभापति जी, आपका संरक्षण चाहिए। हम दिल्ली की आवाज को उठा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप इस विषय में कुछ आश्वासन दें कि केन्द्र सरकार अपने लेवल पर क्या कार्रवाई कर रही है?

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: सर, आपके माध्यम से मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं ...**(व्यवधान)**... विनम्रतापूर्वक मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रेट्स तय करने में केन्द्र सरकार की भूमिका नहीं है ...**(व्यवधान)**... केन्द्र सरकार की भूमिका नहीं है।

अगर हम चाहते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर को मेन्टेन करें और राज्य को अधिकार दिलवाएं, तो दोनों तरफ से चट भी मेरी और पट भी मेरी नहीं हो सकती। एक तरफ हम यह कहें कि आप राज्य सरकार को पूरे अधिकार दें और जब हमने राज्य सरकार को अधिकार दिए, फिर उस समय हम कहें कि केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करे, ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकतीं।

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Delhi is a Union Territory, hon. Minister. Delhi is not a State in that sense. Please correct your homework. ...*(Interruptions)*...

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: रवि शंकर जी, राजनीतिक तौर पर आप मुद्दा जरूर उठाएं, लेकिन संविधान के आधार पर हम इस मुद्दे पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, माननीय सांसद ने तो दिल्ली की बात उठाई है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के अन्दर बिजली की दरों में छः गुना वृद्धि हुई है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को बड़े-बड़े बिल मिल रहे हैं। किसी को 1 लाख का बिल, किसी को 15 हजार का तो किसी को 20 हजार का बिल मिल रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बिजली कम्पनियों पर किस प्रकार की नकेल लगाई जा रही है? आपने कहा कि इसमें केन्द्र सरकार की भूमिका नहीं है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि चाहे वह दिल्ली हो, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश

हो, जिस प्रकार बिजली वितरण कम्पनियां बिजली की दरों में लगातार वृद्धि कर रही हैं, आम आदमी पर इस वृद्धि से कितना जबरदस्त असर पड़ रहा है, क्या इसका अंदाजा माननीय मंत्री जी को है?

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या वे इन कम्पनियों पर संविधान के अंतर्गत किसी भी प्रकार की नकेल लगाने का प्रयास करेंगे?

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: सभापति महोदय, मैंने इस प्रश्न का उत्तर अपने पहले प्रश्न के उत्तर में ही दे दिया था कि बिजली की दरों में राज्य सरकारों की जो भूमिका है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ के मामले में भी average cost of supply और average revenue requirement में अभी जो अन्तर है या डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी के जो लॉसिज़ हैं, उनके लिए केन्द्र सरकार की तरफ से हमने R-APDRP योजना चलाई है। इसके साथ हम National Electricity Fund दे रहे हैं, डिस्ट्रिब्यूशन के प्रोजेक्ट्स के लिए 3% से 7% के बीच interest subsidy दी जा रही है और साथ ही एक बहुत ही महत्वाकांक्षी Financial Restructuring Package लाया जा रहा है। इस बजट के बाद मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी से अनुमति भी लेने वाला हूं। उनके जो 1 लाख 90 हजार करोड़ के लॉसिज़ हैं, उनको restructure करने के लिए मैं एक पैकेज बना रहा हूं ताकि इस क्षेत्र को हम दोबारा viable बना पाएं।

सभापति महोदय, अभी यह क्षेत्र को viable बनाना है, जिसकी वजह से निवेश पर प्रश्नचिह्न लगा हुआ है। जब तक distribution chain को हम viable न बना लें, तब तक यह electricity chain viable नहीं हो पाएगी। वर्तमान में मेरा ध्यान इसी पर लगा हुआ है और इसी पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।

SHRI V.P. SINGH BADNORE: Mr. Chairman, Sir, I want to also talk about the Electricity Act, 2003, which the hon. Minister has referred to. Is it not a fact that the discoms or the privatization in discoms was introduced to see that the competition could bring down the tariff? Sir, section 41(b) of the Electricity Act of 2003 talks about a provision of 'open access', which means that you can have a choice of discoms. This provision is there in London where you have a choice of discoms, you have ten of them but, here, there is no choice, and, that is the reason that there is no competition and the tariff is very high. You talk about the SERC and the CERC. What was to be done as per the provisions, you have not adhered to. That was to be done in five years. Had that been done, the tariff would have come down.

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: सभापति महोदय, माननीय सांसद महोदय ने Electricity Act के एक बहुत महत्वपूर्ण भाग पर ध्यान आकर्षित किया है- 'open access'. हम

सब चाहते हैं कि ये दोनों चीज़ें हों। इस सेक्टर को सुदृढ़ बनाने के लिए transparency हो, vaibility हो और competition भी हो। मैं माननीय सदस्य की बात से सौ प्रतिशत सहमत हूं। कई राज्यों ने Competition introduce करने के लिए अनेक मॉडल्स के उपयोग भी किए हैं, जिनके सन्दर्भ में माननीय सांसद महोदय ने मुद्दा उठाया है। इसमें franchise model, part-privatisation model, full-privatisation model और lease model हैं।

एक माननीय सदस्य: च्वायस तो नहीं है..।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: मैं अपनी बात समाप्त कर पाउँ, तो आपको पूरी सूचना दे पाउँ। ...**(व्यवधान)**... तो इन चारों मॉडल्स पर पिछले पांच सालों में उड़ीसा, दिल्ली, महाराष्ट्र आदि अनेक राज्यों ने जो भी काम किया है तथा उसका जो विश्लेषण हुआ है और उससे जो निचोड़ निकला है, State Power Ministers' Conference में 5 फरवरी को मैंने सभी ऊर्जा मंत्रियों को इस पर सूचना दिलवाई थी। मैं तो चाहूंगा कि अगर राज्य चाहें, तो इसके आधार पर जरूर उत्पन्न करवाएं। यह मैं जरूर चाहूंगा।

सर, ओपन एक्सेस के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि यह मुद्दा उठाया गया था। हम लोग ओपन एक्सेस चाहते हैं, परन्तु आज क्या हो रहा है कि ओपन एक्सेस के मुद्दे पर जब राज्य सरकार के साथ चर्चा होती है, तो...

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over. I am sorry.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

All India implementation of direct transfer of cash subsidy scheme

†*25. SHRI DHARMENDRA PRADHAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government has chalked out the scheme of Direct Cash Transfer of Subsidy in order to rein in corruption and profligacy in subsidies;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government is providing cash subsidy to consumers in some States for some scheme even at present;

(d) if so, the details thereof; and

(e) by when Government is contemplating to implement this scheme all across the country?

† Original notice of the question was received in Hindi.